न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 31/2019

1– नरपत सिंह पुत्र लाल सिंह
2– अमर सिंह पुत्र लाल सिंह
समस्त जाति राजपुत निवासीगण धोलिया, तहसील लाडनू जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार, जरिये पटवारी हल्का, लैड़ी तहसील लाडनूं, जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार, लाडनूं पीठासीन अधिकारी कार्तिकेय मीणा, मुकदमा नं0 47/18 बअनुवान राजस्थान सरकार जरिये प0ह0 लैड़ी बनाम नरपत सिंह वगैरह निर्णय दिनांक 13.05.2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक : 03.03.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 47/2018 बअनुवान पटवारी हल्का लैड़ी बनाम नरपत सिंह में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लैड़ी ने अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थीगण ने मौजा ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

456 रकबा 00.16 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ते की भूमि को खेत में मिलाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमियों को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस चस्पा कर दो मोतबराने के हस्ताक्षर सहित प्राप्त हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थीगण द्वारा मौजा धोलिया के खसरा नम्बर 456 रकबा 0.16 बीघा किस्म गैर मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रैणी में पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना जाकर मौजा धोलिया के खसरा नम्बर 456 रकबा 0.16 बीघा गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं संवत 2075 की वार्षिक लगान दर 0.55 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 22/– अक्षरे बाईस रूपये कायम किया गया व अपीलान्ट/अप्रार्थीगण से जुर्माना वसूली हेतु पटवारी हल्का को भौतिक रूप से बेदखली हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 10.06.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 10.06.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। । अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2021/20 दिनांक 18.02.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

{3} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{3}(1)–यह है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.07.2018 को जवाब पेश कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
हीरानगर

आग्रह किया कि अपीलान्ट के खेत में से आने जाने वाला रास्ता में आज तक कोई भी रूकावट नहीं है और निर्बाध रूप से चला आ रहा है तथा ही पूर्वकाल में 40–50 वर्षो पूर्व से जो रास्ता बहता आया था उसे ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत ग्रेवल सड़क का निर्माण भी निर्विवाद रूप से कराया था तथा वर्तमान में ग्राम पंचायत ने ब्लॉक सड़क का निर्माण भी सर्वसम्मति से बिना किसी बाधा के कराया था जो इस खेत के दक्षिण दिशा में आम आदमी के साथ साथ 25–30 घरो में आने जाने के लिये है और रास्ते की कोई भी समस्या आम आदमी व आने–जाने को नहीं है। इस पर कोई भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विचार नहीं करके कानूनी भूल की है जिससे यह उक्त आदेश अपास्त/खारीज किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि रास्ते बाबत अधीनस्थ न्यायालय से खेत की दक्षिणी सीमा का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने का भी निवेदन किया जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं कर कानूनी भूल की है जिससे यह उक्त आदेश अपास्त/खारीज किये जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि भू निरीक्षक कसुम्बी अलीपुर ने रास्ते के दक्षिणी सींव पर उस स्थान पर रास्ता बनाया हुआ है जिसमें पक्की ब्लॉक की सड़क बनायी हुई है, यह तथ्य अपनी जॉच रिपोर्ट में अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत किये है जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं करके कानूनी भूल की है जिससे यह उक्त आदेश अपास्त/खारीज किये जाने योग्य हैं।

{3}(4) – यह है पत्रावली में हल्का पटवारी क मौखिक बयान नहीं लेने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है, जिससे उक्त पारीत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अपील अपीलान्ट ने बहस के दौरान निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 47/2018 बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का लैड़ी बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर

नरपतसिंह वगैरह में निर्णय दिनांक 13.05.2019 खारीज किया जाकर उक्त अपील को स्वीकार किया जावें।

{4} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का लैड़ी की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक कसुम्बी अलीपुर द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम धोलिया, के खसरा नम्बर 456 रकबा 0.16 बीघा किस्म गै0 मु0 रास्ता को खेत मिलाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थीगण/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट/अप्रार्थी का नोटिस चस्पा होकर अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुआ। दिनांक 31.07.2018 को अपीलान्ट/अप्रार्थीगण स्वमं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुवे, तथा जवाब पेश किया, जो पत्रावली पर उनके हस्ताक्षर से साबित है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्ट/अप्रार्थीगण का जवाब में उनके द्वारा यह कथन किया है कि हमारे खेत की दक्षिणी दिशा में रींगण की तरफ जाने वाला रास्ता 40–50 वर्षो से चला आ रहा है । जिसमें कोई रूकावट आज तक नहीं है। आज भी निर्बाध रूप से चला आ रहा है, साथ ही यह अवगत करवाया है कि उक्त रास्ते में पूर्वकाल में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत ग्रेवल सड़क का निर्माण भी निर्विवाद रूप से हुआ था तथा वर्तमान ग्राम पंचायत ने ब्लॉक सड़क का निर्माण भी सर्वसम्मति से बिना किसी बाधा के हुआ है। साथ ही यह बताया कि उनके खेत की दक्षिण दिशा में 25–30 परिवार निवास कर रहे है जो वर्षो पूर्व जब यहां बसने के लिये आये तो उनके घरों में जाने के लिये रास्ते की समस्या थी तब उनके आग्रह पर उनके पूर्वजों ने हमारी जमीन में से रास्ता देकर उनको घरों में जाने के लिये सुविधा प्रदान की तथा इस रास्ते को दक्षिण दिशा में तय किया जो आज भी बदस्तुर आवागमन जारी है। अतः अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के जवाब में स्वयं ने बताया है की अप्रार्थीगण ने कटटाणी रास्ते को बन्द कर दूसरी जगह पर डाला हुआ है, जिससे साबित होता है कि अप्रार्थीगण का रास्ते पर अतिक्रमण है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्टं 1956 की धारा 16 के तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर

प्रतिबन्धित भूमि में आती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

:::: आदेश ::::

अतः अपीलान्ट की अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.05.2019 यथावत रखा जाता है।

(विशाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विशाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)